संख्या-75/450/84-2-2013-7(वि0)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 नवम्बर 2013

विषय मा0 सांसदों एवं विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा जनपद एवं शासन स्तर पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य तथा रसद (डेस्क इकाई), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-596/29-डे0ई0/2013, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 एवं उसके साथ संलग्न संसदीय कार्य अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-918/90-स-1-2012-70सं0/1984, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं आयोग या जिला फोरमों में किसी भी माध्यम से प्राप्त मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों के छायाप्रति सहित शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in